न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढाना, जनपद मु0नगर।

मुकदमा अपराध संख्या 434 सन् 2023

सरकार बनाम इरफान

अन्तर्गत *धारा 3*/25 आर्म्स एक्ट

थाना बुढाना, जिला मु0नगर।

बेल नं0 460/2023

09—10—2023:

अभियुक्त इरफान पुत्र इस्माईल की ओर से प्रस्तुत अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट मुकदमा अपराध संख्या 434/2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अभियुक्त निर्दोष है। कोई अपराध नही किया है। झूठा फसाया गया है। कोई अपराधिक इतिहास नही है। न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व है तथा उचित जमानत देने को तैयार है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना व पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन कथांनक के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किये जाने के आरोप लगाये गये है। अभियुक्त दिनांक 27.09.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त की अन्य मुकदमो में सेशन कोर्ट से पूर्व में जमानत हो चुकी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। अतः उक्त मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त इरफान पुत्र इस्माईल का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत *धारा 3/25 आर्म्स एक्ट* मु0 अपराध सं0 434/2023 थाना बुढाना थाना बुढाना इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि

1— अभियुक्त प्रत्येंक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2— अभियुक्त द्वारा गवाहो को डरायेगा व धमकायेगा नही।

3— अभियुक्त द्वारा 20,000/रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किये जाने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बुढाना, मु0नगर ।